उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
U.P. Power Transmission Corporation Limited
(A Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

Electricity Transmission Division- Ghazipur.
220 KV S/S Talwal Hydle Colony Ghazipur
Pin 233002

E-mail-eeetd2var@upptcl.org
Mob. 9415311047

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड गाजीपुर
220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द तलवल हाइडिल कालोनी गाजीपुर
पिन 233002

पत्रांक 1706 वि0प्रे0खं0–गा0)/ दिनांक 28.07.2022

विषयः–400के0वी0 ओबरा लीलो विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/44753/2020) में लगायी गयी आपत्तियों/कमियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वनप्रभाग
ओबरा, सोनभद्र

सन्दर्भ–1.कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 प्रभाग लखनऊ, पत्रांक 3275/11– FP/UP/TRANS/44753/2020 दिनांक 20.05.2022
2.आपके कार्यालय पत्रांक 90/ ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक 13.07.2022

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा 400 के0वी0 ओबरा लीलो विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/44753/2020) में कुछ आपत्तियां/कमियां दर्शायी गयी है जिसमे बिन्दु संख्या 4,5,6,7,8,9 जो कि क्षतिपूरक वनीकरण से सम्बन्धित है, के कम में अवगत कराना है कि उक्त लाइन में प्रभावित वन भूमि 19.968 हे0 के लीज के समय इस कार्यालय द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 19.968 हे0 गैर वन भूमि तथा उक्त 19.968 हे0 गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि रू0 8,55,968.00 मात्र (रू0 आठ लाख पचपन हजार नौ सौ अरसठ मात्र) (चेक संख्या 751375 दिनांक 23.11.1998) प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर को उपलब्ध करा दी गयी थी । उक्त लीज अवधि दिनांक–01.10.2019 को समाप्त हो चुकी है। उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि. को 400 के0वी0 लीलो ओबरा विद्युत पारेशण लाईन के निर्माण हेतु प्रभावित 19.968 हे0 (धारा–4 को वन भूमि मानते हुए) वन भूमि थी, जून 2020 में धारा 20 की अधिसूचना के उपरान्त 19.968 हे0 के बजाय 7.5118 हे0 है। वर्तमान मे उक्त लाइन में प्रभावित होने वाली 7.5118 हे0 वन भूमि पर कोई नया निर्माण कार्य नही किया जाना है और न ही कोई वृक्ष पातन किया जायेगा, जिस कारण क्षतिपूरक वनीकरण की देयता नही बनती है। बिन्दु संख्या 13 के कम में संशोधित प्रस्ताव की पूर्ण पी0डी0एफ0 फाइल पेन ड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में बिन्दु सं0 10, व 12 में दर्शायी गयी आपत्तियों/कमियों (महोदय स्तर से होना है) को दूर कर उक्त लीज नवीनीकरण प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे की लीज नवीनीकरण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक. वि0प्रे0खं–(गा0) दिनांक.
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य अभियन्ता (पा0उ0पू0), 132 के0वी0 उपकेन्द्र मोहद्दीपुर, गोरखपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (परि0 एव कय) 13वा तल उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता वि0प्रे0मं0, गाजीपुर।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता